UPEW010015472026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Bail Application 463/2026

नितिन गुप्ता उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र हरिओम गुप्ता निवासी 41/1 दबग्राम थाना कोतवाली जनपद इटावा।

.... आवेदक/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

.............विपक्षी।

अपराध संख्या–192/2025
धारा 318(4),338,336(3),340(2),
भारतीय न्याय संहिता
थाना–कोतवाली, जिला–इटावा।

09.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त नितिन गुप्ता की ओर से मु०अ०सं०–192/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना–कोतवाली, जिला–इटावा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा राकेश कुमार सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड–1 इटावा द्वारा थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी गयी तहरीर इस प्रकार है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत इस खण्ड के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत फर्म सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन जीएसटीएन 09BKNPG4230N2ZS फर्म विभाग में दिनांक 01.05.2022 से पंजीकृत है तथा फर्म का पंजीयन दिनांक 12.06.2023 से निरस्त किया जा चुका है। पंजीयन प्रपत्रों के आधार पर पंजीकृत व्यक्ति का नाम श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1 दावग्राम, इटावा पिन–206001 है जो इस व्यक्ति के आधार कार्ड पर अंकित है। सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन (प्रान्तीय क्षेत्राधिकार) पंजीकृत है तथा फर्म का पंजीयन दिनांक 12.06.2023 से निरस्त किया जा चुका है। फर्म द्वारा वर्ष 2022–23 दिल्ली स्थित फर्म सर्वश्री

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.03.09 16:02:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बालाजी टिम्बर इन्टरप्रइजेज जीएसटीएन 07CJKPB6350B1ZM से रु0 32642003.74 की इनवार्ड प्राप्त करते हुए रु0 6469604.00 की आईटीसी अर्जित की गयी है, जबकि सर्वश्री श्री बालाजी टिम्बर एण्टरप्राइजेज का संगत वर्ष में GSTR–2A (इनवार्ड सप्लाई) निल पाया गया तथा फर्म का पंजीयन दिनांक से निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन द्वारा सर्वश्री आकृष्टी कम्प्यूनिकेशन जीएसटीएन 09HYZPS0015P1ZC से रु0 26354383.00 की इनवार्ड आपूर्ति प्राप्त करते हुए एसजीएसटी रु0 2697047.87 तथा सीजीएसटी रु0 2697047.87 की आईटीसी अर्जित की गयी है, जबकि सर्वश्री आकृष्टी कम्प्यूनिकेशन का भी संगत वर्ष में GSTR–2A (इनवार्ड सप्लाई) निल पाया गया तथा दिनांक 01.07.2024 से निरस्त कर दी गयी है। सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन पर धारा–74A (9) में डीआरसी–01 ए सन्दर्भ संख्या ZD090825015240M दिनांक 02.08.2025 को जारी कर दिया गया है। पोर्टल पर उक्त बोगस फर्मों की खरीद बिक्री के आँकड़े असत्यापित हैं। इस प्रकार सर्वश्री आदित्य कंट्रक्शन जीएसटीएन 09BKNPG–4230N2ZS द्वारा बोगस फर्मों से बिना माल की वास्तविक खरीद के क्रमशः रु 11863699.74 की बोगस आईटीसी अर्जित करते हुए उसकी वास्तविक बिक्री किये बिना फेक टैक्स इनवायस जारी करते हुए आईटीसी पासऑन की गयी है, जिससे कि उ.प्र. माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा–132 के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य करते हुए कुल रु0 11863699.74 की राजस्व क्षति की गयी है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336 (3), 338, 340(2), 3 (5) एवं 61(2) के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। उपरोक्त के सन्दर्भ में नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1, दावग्राम, इटावा के विरुद्ध करापवंबन के उद्देश्य से पंजीयन प्राप्त किये जाने तथा रु0 11863699.74 का करापवंचन किये जाने हेतु भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उपरोक्त मुकदमे मे दिनांक 23.01.2026 को समय करीब 15:55 बजे गिरफ्तार दर्शाया गया है तथा पर्चा जी० डी० में 16:04 बजे गिरफ्तारी अंकित की गई है जबकि उसका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 23.01.2026 को समय करीब 15:52 बजे से 15:57 बजे के मध्य सम्पन्न होना दर्शाया गया है उसकी गिरफ्तारी, थाना दाखिला एवं चिकित्सीय परीक्षण से सबंधित समयावधि में गंभीर विरोधाभास है।

चिकित्सीय परीक्षण आख्या में अंकित समय, रोजनामचा आम की प्रविष्टि तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित समय आपस में पूर्णतः असंगत है। तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर रोजनामचा आम में समय से प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया गया है। विवेचक, जी.डी. मुंशी, अस्पताल कर्मी एवं तकनीकी खराबी जैसे परस्पर विरोधी कारणों के आधार पर जांच लंबित होना स्वीकार किया गया है। साथ ही कानून-व्यवस्था ड्यूटी की व्यस्तता के कारण जांच पूर्ण न हो पाने की बात भी कही गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 51 के अनुसार किसी भी अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण गिरफ़्तारी के पश्चात ही कराया जाना विधिसम्मत है, गिरफ़्तारी से पूर्व चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी को पहले ही अवैध हिरासत में रखा गया था तथा गिरफ्तारी का समय बाद में दर्शाया गया। उसको दिनांक 21.01.2026 को लगभग 12:00 बजे दोपहर से थाना कोतवाली में अवैध रूप से बैठाकर रखा गया, जबकि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिनांक 23.01.2026 को दर्शायी गई है तथा उसको उसी दिन लगभग शाम 5:30 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित 24 घंटे की वैधानिक समय-सीमा से कहीं अधिक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीसीटीवी फुटेज तलब किए जाने के उपरांत भी थाना स्तर पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी उक्त पते का स्थायी निवासी है, समाज में सम्मानित है विवेचना में निरन्तर सहयोग कर रहा है तथा उसके फरार होने, साक्ष्य से छेड़छाड करने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। अभियोजन कथानक द्वारा जो भी आरोप लगाये गये है वो बिल्कुल असत्य एवं सह अभियुक्त के कहने पर लगाये गये है। सत्यता यह है कि उसने अपनी फर्म सन् 2022 मे बन्द कर दी थी जिस फर्म को खाटू श्याम ट्रेडर्स के संचालक द्वारा जी०एस०टी० की चोरी करना बताया गया है। उसका संचालक वह नहीं है। उसका संचालक प्रोपराइटर शैलेन्द्र बाबू है। उसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। उक्त मामले में वह दिनांक 23.01.2026 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष के पास ऐसी कोई निष्पक्ष व विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर आवेदक को कारागार में निरूद्ध रखा जा सके। आवेदक का प्रतिभू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 23.01.2026 को अस्वीकृत हो चुका है। यह प्रथम प्रतिभू आवेदन पत्र है इसके अलावा न तो प्रतिभू आवेदन पत्र और न पैरोल आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय से अस्वीकृत हुआ है और न वहां लम्बित है।

उपरोक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर जनता के लोगो को धोखा देकर उनके प्रपत्र प्राप्त करके उक्त प्रपत्रों के आधार पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना करके फर्जी फर्म बनाकर उक्त फर्म से फर्जी इनवायस (Invoice) व दस्तावेज जारी करके आर्थिक अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नितिन गुप्ता की ओर से मु०अ०सं०–192/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना–कोतवाली, जिला–इटावा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र सं0 463/2026 निरस्त किया जाता है।

सम्बन्धित सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह ज़मानत आदेश की प्रति जिला कारागार इटावा को ज़रिए ई–मेल एवं BOMS से प्रेषित करें।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632